संख्या- 29 /2023 /001-600-24-1-2023-2422-2008

प्रेषक,

प्रभंजन यादव,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 16 मार्च, 2023

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 के शासकीय आय-व्ययक में ओबरा 'सी' 2×660 मेगावाट तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के पत्र संख्या-32/उ0नि0लि0/नि0 (वित्त), दिनांक 16 फरवरी, 2023 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 को ओबरा 'सी' तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु प्राविधानित धनराशि रूपये 867,45,03,000/- (रूपये आठ सौ सढ़सठ करोड़ पैंतालिस लाख तीन हजार मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रूपये 41,85,03,000/- (रूपये इक्तालिस करोड़ पच्चासी लाख तीन हजार मात्र) स्वीकृत कर आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या -42जी/शुद्ध पत्र संख्या-426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाया जायेगा तथा तत्संबंधी बिल ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को प्रतिहस्तारक्षर हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज और ऊर्जा विभाग तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

(3) इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) जिस मद में पुनर्विनियोग कर रहे है, उस मद में चालू वित्तीय वर्ष में किसी प्रकार की धनराशि की मांग नहीं करेंगे तथा स्वीकृत कार्य पर ही धनराशि व्यय करेंगे।

(5) जिस मद में पुनर्विनियोग प्रस्तावित है उस मद की सम्पूर्ण धनराशि का नियमानुसार सदुपयोग इस वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

(6) पुनर्विनियोग की जाने वाली धनराशि का सदुपयोग वित्तीय वर्ष में करने और उसके फलस्वरूप होने वाली आडिट आपत्ति हेतु निदेशक (वित्त), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 उत्तरदायी होगें।

(7) किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता का उत्तरदायी निदेशक (वित्त), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 का होगा।

(8) स्वीकृत धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07 जून, 2022 एवं समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 41,85,03,000/- (रूपये इक्तालिस करोड़ पच्चासी लाख तीन हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022 2023 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 009 **लेखा शीर्षक** 4801021901409 ओबरा 'सी' तापीय परियोजना 2x660 मे.वा.की स्थापना हेतु अंशपूँजी विनियोजन **मानक मद** 30 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-10-164-X-2022-23-दिनांक: 14.03-2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

प्रभंजन यादव
अनु सचिव।

संख्या- 29/2023 /001-600-24-1-2022-2422-2008, तद् दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम/(लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग,प्रयागराज-211001
3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर- एच, अलीगंज, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/वित्त, (आय-व्ययक) अनुभाग-1/राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

प्रभंजन यादव
अनु सचिव।